देवेन्द्र सिंह चौहान,
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र सं0 - 37 /2022
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226010
दिनांक: नवम्बर 03 ,2022

विषयः अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोले जाने / निगरानी के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदया/महोदय,

आप अवगत हैं कि उ0प्र0 पुलिस रेगुलेशन के अध्याय-20, पैरा-228 से लेकर पैरा-276 तक वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अभ्यासिक एवं पेशेवर अपराधियों की वर्ग "क" एवं वर्ग "ख" की हिस्ट्रीशीट खोले जाने के प्राविधान निहित है।

अभियुक्तों की हिस्ट्रीशीट खोले जाने के सम्बन्ध में मुख्यालय के अ0शा0 पत्र सं0-डीजी आठ-140(66)2017 दि0 03.11.2017 तथा डी0जी0परिपत्र-07/2019 दि0-25.01.2019 के माध्यम से विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये हैं किन्तु जनपद स्तर पर इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया जाता है।

क्रिमिनल मिस. रिट पिटीशन संख्या-6763/2019 बल्लू उर्फ बलविन्दर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 22.09.2022 को हुई सुनवाई के दौरान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के संज्ञान में यह तथ्य आया कि याची बल्लू उर्फ बलविन्दर के विरुद्ध थाना-फेज-2 नोएडा, कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर में हिस्ट्रीशीट संख्या-32ए पुलिस रेगुलेशन में वर्णित अपराधों से इतर अपराधों के आधार पर खोली गयी है तथा पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर-228 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार वर्ग-'क' की हिस्ट्रीशीट की समीक्षा भी नहीं की गयी। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा इन तथ्यों पर असंतोष व्यक्त करते हुये निम्नवत टिप्पणी की गयी है-

> **" The Court is noticing that the History Sheet that has been mechanically opened against the accused person, continue to exist for several years beyond two years period. In none of the cases that came before the Court any order of the Senior Superintendent of Police/ Superintendent of Police was placed on record that the matter was reviewed in terms of the Police Regulation and there is any jurisdiction of continuing the History Sheet, in particular, under class "A" category. The provisions under Regulation 240 is also not being complied. The accused persons are directly approaching the court either seeking quashing of the History Sheet or to remove their name from the History Sheet.**
> **In the circumstances, before any further order is passed, it would be appropriate to give an opportunity to the Director General of Police, U.P. Lucknow, to file his personal affidavit to clarify: (i) whether History Sheet against any person can be opened under class "A" category for the offences other than that mentioned in the Regulation; (ii) whether History Sheet of class "A" category of person is being**

..........2

reviewed after two years in the State; (iii) whether there is any instruction/direction/guideline to the Senior Superintendent of Police/ Superintendent of Police as to how the History Sheet of class "A" category is required to be reviewed with regard to closing of the History Sheet."

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त संदर्भित आदेश दिनांकित 22.09.2022 में मांगे गये स्पष्टीकरण के क्रम में कमिश्नरेट/जनपदों से प्राप्त सूचना के परिशीलन से यह व्यक्त हो रहा है कि हिस्ट्रीशीट खोले जाने के सम्बन्ध में पुलिस रेगुलेशन के अध्याय-20 में दी गयी व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया जा रहा है तथा पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर-228 में वर्णित अपराधों के इतर अपराधों का उल्लेख करते हुये अभियुक्तों की हिस्ट्रीशीट खोली जा रही है तथा वर्ग-'क' की हिस्ट्रीशीट की 02 वर्ष के उपरान्त पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर-231 के अनुसार समीक्षा भी नहीं की जा रही है।

ज्ञातव्य है कि उ०प्र० पुलिस रेगुलेशन के पैरा-228 में अभ्यासिक अपराधियों एवं उसके दुष्प्रेरक शीर्षक के अन्तर्गत दोनों वर्गों की हिस्ट्रीशीट को वर्गीकृत किया गया है। वर्ग "क" की हिस्ट्रीशीट में डकैत, सेंधमार, पशुचोर, रेल के डिब्बों के माल चोर और उसके दुष्प्रेरक वर्णित हैं, परन्तु दोनों वर्गों के लिए शीर्ष पर जो महत्त्वपूर्ण विश्लेषित है, वह अभ्यासिक अपराधी शब्द है। वर्ग "क" की हिस्ट्रीशीट को पुलिस रेगुलेशन के पैरा-231 के अन्तर्गत 02 वर्ष बाद पुर्नाविलोकित किये जाने की प्रक्रिया अपनाए जाने का प्राविधान है, अतः मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में हिस्ट्रीशीट खोले जाने की कार्यवाही को अधिक न्यायसंगत एवं वस्तुपरक बनाये जाने हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं-

1. 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति की हिस्ट्रीशीट नहीं खोली जायेगी।
2. हिस्ट्रीशीट खोलने के लिए उ0प्र0 पुलिस रेगुलेशन के पैरा 228 से 240 तक का गहन अध्ययन करके उसी के अनुरूप कार्यवाही की जाये।
3. हिस्ट्रीशीट ऐसे व्यक्तियों की खोली जाये जिनके बारे में यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार हो कि आदतन अपराधी है या हो सकता है। रूटीन में हिस्ट्रीशीट न खोली जाये।
   i. हिस्ट्रीशीट ऐसे व्यक्तियों की खोली जाये जिनकी गहन निगरानी (Intense Surveillance) की आवश्यकता हो।
   ii. जो ऐसे अपराधियों के दुष्प्रेरक हों अथवा उनका ऐसा होना सम्भावित हो।
   iii. निजी रंजिश में दर्ज अभियोगों अथवा अन्य असंगत आधारों पर किसी व्यक्ति की हिस्ट्रीशीट न खोली जाये।
   iv. उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम / उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत की गयी कार्यवाहियों को हिस्ट्रीशीट खोलने का आधार न बनाया जाये।
   v. चूँकि हिस्ट्रीशीट जनपद के पुलिस अधीक्षक के आदेश से खोली जाती है, अतः वे पूर्णतया आधारों से संतुष्ट होने पर ही हिस्ट्रीशीट खोलने का अनुमोदन करें।

.....3

vi. थाना प्रभारी द्वारा प्रेषित हिस्ट्रीशीट का सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी एवं अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा सघन परीक्षण करने के उपरान्त ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा हिस्ट्रीशीट खोलना अनुमोदित किया जाये।

4. उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 228 से 276 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत 18 वर्ष से अधिक तथा 21 वर्ष तक के अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोलने से पूर्व वरिष्ठ अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा सूचनार्थ पुलिस महानिरीक्षक, सी.बी.सी.आई.डी. को इस आशय से प्रेषित की जायेगी कि उन्हें कोई आपत्ति हो तो पत्र प्राप्ति के दिनांक 15 दिवस के अन्दर वह अपनी टिप्पणी सहित सम्बन्धित जिला मुख्यालयों को भेजेंगे।
5. पुलिस महानिरीक्षक, सी.बी.सी.आई.डी. द्वारा यदि कोई आपत्ति व्यक्त की जाती है, तो जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरण का परीक्षण किया जायेगा एवं यदि अब भी हिस्ट्रीशीट खोलने के लिए उपयुक्त पाया जाता है तो उसकी हिस्ट्रीशीट खोलकर इसकी सूचना पुलिस महानिरीक्षक, सी.बी.सी.आई.डी. को प्रेषित की जायेगी।
6. यदि पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर पुलिस महानिरीक्षक, सी.बी.सी.आई.डी. द्वारा उक्त प्रकरण में कोई आपत्ति नहीं की जाती है तो यह मान लिया जायेगा कि उनको वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक द्वारा संस्तुत की गयी आख्या पर कोई आपत्ति नहीं है।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उ0प्र0 पुलिस रेगुलेशन के उपरोक्त पैरा एवं मुख्यालय स्तर से निर्गत निर्देशों / परिपत्रों का पुनः गहनता से अध्ययन कर लें एवं जनपद स्तर पर कार्यशाला का आयोजन कर अपने अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारियों को विस्तार से अवगत करा दें और यह भी सुनिश्चित करें कि इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

भवदीय,

03/11/2022

(देवेन्द्र सिंह चौहान)

1. पुलिस आयुक्त,
   कमिश्नरेट-लखनऊ / कानपुर / वाराणसी / गौतमबुद्धनगर ।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक,
   प्रभारी जनपद रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

<u>प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यककार्यवाही हेतु</u> :—

1. अपर पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था),उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (रेलवेज), उ0प्र0 लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक (अभियोजन), उ0प्र0 लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक (तकनीकी सेवाएँ), उ0प्र0 लखनऊ।
5. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
6. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ०प्र०।